भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 899

गुरुवार, 21 जुलाई, 2016/30 आषाढ़, 1938 (शक)

सड़क दुर्घटनाएं

899. श्री रामदास सी. तडस:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री जितेन्द्र चौधरी:
श्री आर. ध्रुवनारायण:
श्रीमती पूनम महाजन:
श्री दुष्यंत चौटाला:
श्री कलिकेश एन. सिंह देव:
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्रीमती नीलम सोनकर:
श्री राघव लखनपाल:
श्री शिवकुमार उदासि:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण अर्थव्यवस्था को जीडीपी के तीन प्रतिशत से अधिक की वार्षिक हानि होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या देश में 2014 की तुलना में 2015 में देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) ऐसी भारी दुर्घटनाओं के पीछे मुख्य कारणों का ब्यौरा क्या है;
(घ) इन संख्याओं में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या अधिकतर दुर्घटनाएं कुछ राज्यों तक ही सीमित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन राज्यों में उन्हें रोकने हेतु क्या विशेष/अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्णन)

(क): सड़क दुर्घटनाओं, चोट निवारण और नियंत्रण के संबंध में योजना आयोग द्वारा स्थापित कार्य समूह (वर्किंग ग्रुप) ने भारत में वर्ष 1999-2000 में सभी सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं की लागत का अनुमान जीडीपी की लगभग 3% दर पर लगाया था ।

(ख), (घ) और (ड.): सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या वर्ष 2014 में 4,89,400 से 2.5 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2015 में 5,01,423 हो गई है । सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या भी वर्ष 2014 में 1,39,671 से 4.6 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2015 में 1,46,133 हो गई है । सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या की 86.7% गणना 13 राज्यों द्वारा की गई है । राज्य-संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है ।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़कों पर सुरक्षा में सुधार के लिए अनेक उपाय किए गए हैं :-

(i) सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति अनुमोदित की है । इस नीति में विभिन्न उपाय बताए गए हैं जैसे जागरूकता संवर्धित करना, सड़क सुरक्षा सूचना डासाबेस स्थापित करना, कुशल परिवहन के उपयोग सहित सुरक्षित सड़क अवसंरचना को प्रोत्साहित करना, सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन आदि ।

(ii) सरकार ने सड़क सुरक्षा के मामलों में नीतिगत निर्णय लेने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् गठित की है ।

(iii) मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् और जिला सड़क सुरक्षा समितियां गठित करने और उनकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने का अनुरोध किया है ।

(iv) मंत्रालय ने शिक्षा, इंजीनियरी (सड़क और वाहन दोनों के लिए), प्रवर्तन और आपात निदान नामक चार सड़क सुरक्षा उपायों पर आधारित सड़क सुरक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है ।

(v) सड़क सुरक्षा को योजना स्तर पर सड़क डिजाइन के एक अभिन्न भाग के रूप में बनाया गया है ।

(vi) राष्ट्रीय राजमार्गों के चुनिन्दा खंडों की सड़क सुरक्षा संपरीक्षा आरंभ की गई है ।

(vii) ब्लैक स्पॉटों (दुर्घटना संभावित स्थलों) का अभिनिर्धारण और दोष निवारण को उच्च प्राथमिकता दी गई है । लगभग 700 ऐसे ब्लैक स्पॉटों का सुधार के लिए अभिनिर्धारण किया गया है ।

(viii) राष्ट्रीय राजमार्ग की चार लेनिंग के लिए शुरूआत को 15,000 पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) से घटाकर 10,000 पीसीयू कर दिया गया है । राज्यीय राजमार्गों के लगभग 52,000 किमी खंडों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने के लिए अभिज्ञात किया गया है ।

(ix) राज्यों में आदर्श ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना और असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहनों के चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण ।

(x) इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर समर्थन/प्रचार अभियान ।

(xi) वाहनों के सुरक्षा मानकों को सख्त बनाना जैसे कि सीट बेल्ट, पावर-स्टियरिंग, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आदि ।

(xii) राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को क्रेनें और एम्बुलेंस प्रदान करना । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी अपने प्रचालन और अनुरक्षण ठेकों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे किए गए प्रत्येक खंड पर 50 किमी की दूरी पर एंबुलेंसें प्रदान करता है ।

(xiii) राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-8 के गुडगांव-जयपुर, बड़ोदरा-मुम्बई खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-33 के रांची – रारगांव - महुलिया खंड पर सड़क दुर्घटना पीड़ितों के नकदी रहित उपचार के लिए एक प्रायोगिक परियोजना का प्रारंभ ।

(ग): कैलेंडर वर्ष 2015 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

	तालिका: सभी सड़कों पर सड़क दुर्घटना के कारण: 2015	
क्र. सं.	**सड़क दुर्घटनाओं के कारण**	**सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या**
1	चालक की गलती	386481
2	साइकिल सवार की गलती	3695
3	अन्य वाहनों के चालक की गलती	24431
4	पैदल यात्री की गलती	7509
5	मोटर वाहन की स्थिति में कमी	11601
6	सड़क स्थिति में कमी	7314
7	मौसम की परिस्थिति	5781
8	यात्री की गलती	6668
9	कम प्रकाश	5456
10	बोल्डर्स का गिरना	1087
11	नागरिक निकायों की लापरवाही	1076
12	आवारा पशु	1534
13	अन्य कारण/अज्ञात कारण	38790
	कुल	501423

"सड़क दुर्घटनाएं" के संबंध में श्री रामदास सी. तडस, श्री दुष्यंत सिंह, श्री जितेन्द्र चौधरी, श्री आर. ध्रुवनारायण, श्रीमती पूनम महाजन, श्री दुष्यंत चौटाला, श्री कलिकेश एन. सिंह देव, श्री संजय हरिभाऊ जाधव, श्रीमती नीलम सोनकर, श्री राघव लखनपाल और श्री शिवकुमार उदासि द्वारा 21.07.2016 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 899 के भाग (ख), (घ) और (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कैलेंडर वर्ष 2015 के लिए भारत में सड़क दुर्घटनाओं और मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या	मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या
1	**2**	**3**	**4**
1	आंध्र प्रदेश	24258	8297
2	अरुणाचल प्रदेश	284	127
3	असम	6959	2397
4	बिहार	9555	5421
5	छत्तीसगढ़	14446	4082
6	गोवा	4338	311
7	गुजरात	23183	8119
8	हरियाणा	11174	4879
9	हिमाचल प्रदेश	3010	1096
10	जम्मू और काश्मीर	5836	917
11	झारखंड	5162	2893
12	कर्नाटक	44011	10856
13	केरल	39014	4196
14	मध्य प्रदेश	54947	9314
15	महाराष्ट्र	63805	13212
16	मणिपुर	671	139
17	मेघालय	606	183
18	मिजोरम	70	72
19	नगालैंड	54	30
20	ओडिशा	10542	4303
21	पंजाब	6702	4893
22	राजस्थान	24072	10510
23	सिक्किम	219	70
24	तमिलनाडु	69059	15642
25	तेलंगाना	21252	7110
26	त्रिपुरा	647	158
27	उत्तराखंड	1523	913
28	उत्तर प्रदेश	32385	17666
29	पश्चिम बंगाल	13208	6234
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	258	23
31	चंडीगढ़	416	129
32	दादर और नगर हवेली	69	42
33	दमन और दीव	70	42
34	दिल्ली	8085	1622
35	लक्षदीप	3	0
36	पुदुचेरी	1530	235
जोड़		501423	146133

*****